



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र 1943 (श०)
(सं० पटना 213) पटना, बुधवार, 24 मार्च 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

23 मार्च 2021

सं० 05/स्था०-01-08/2021-2265—आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ० गगन, बि०प्र०से०, अपर समाहर्ता, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

सं० 05/स्था०-01-08/2021-2266—आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पुरुषोत्तम पासवान, बि०प्र०से०, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 213-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>